–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 23/2023

उनवान

1. श्रवण सिंह पुत्र राम सिंह जाति रावत निवासी, ग्राम नया गावं, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. उगमसिंह,
2. सूरजमल,
3. सोहनसिंह पुत्र बरमा,
4. नंगीदेवी पत्नि नारायण,
5. पतासी पुत्री नारायण,
6. बीरमसिंह,
7. रामदेवसिंह पुत्र नारायण,
8. झमकू,
9. झूमी
10. नाथी पुत्री भींया,
11. पूरणसिंह,
12. फतेहसिंह पुत्र शंकरसिंह,
13. रामसिंह पुत्र हजारी,
14. उदयसिंह,
15. ओमप्रकाश,
16. जोमप्रकाश पुत्र आसाराम,
17. धन्नी पुत्री आसाराम,
18. नारायणसिंह पुत्र आसाराम,
19. प्रकाशी,
20. रतनी पुत्री आसाराम,
21. रामदेव,
22. सोमप्रकाश पुत्र आसाराम,
23. मंगला पत्र गोदा,
24. दी मैनेजर बैक आफ बडौदा शाखा राजगढ तहसील नसीराबाद,
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :–

26. छोटूसिंह,
27. हेमसिंह पुत्र घीसा जाति रावत निवासी नयागां[illegible] तहसील नसीराबाद,
28. भंवरसिंह पुत्र रामसिंह,
29. कमला,
30. केसादेवी पुत्री रामसिंह,
31. गोंपालसिंह,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.26 17:39:34 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

32. सांवरसिंह पुत्र रामसिंह,
33. भंवरीदेवी पत्नि मदनसिंह पुत्रबधू रामसिंह,
34. जनतादेवी,
35. विमलादेवी,
36. मनभर,
37. सेठा पुत्री मदनसिह पौत्री रामसिंह,
38. मुकेश पुत्र मदनसिह,
39. नौसर पत्नि पोलूसिंह,
40. सुमन
41. सजना,
42. तनिषा,
43. मनिषा,
44. अनिषा पुत्री पोलूसिंह पौत्री मदनसिंह,
45. कुलदीप पुत्र पोलूसिंह पौत्र मदनसिंह समस्त जातिगण रावत निवासी नयागांव कास्या तहसील नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— 7, 18 व 22 जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन, 11, 26 से 32, 34 से 37, 39 से 42 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर, 25 जरियें जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 15.12.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचमता के हाल खसरा नम्बर 30 से 36 व 40 प्रार्थी की खातेदारी है। उक्त खोतेदारी आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी ग्राम नयागांव के खसरा नम्बर 3122, 3492/3151, 3177, 3179, 3180 का उपयोग करते है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को अप्रार्थीगण की आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7, 18 व 22 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा कही खसरा नम्बर 3122, 3492/3151, 3177, 3179, 3180 में से मसर्ग चाहा है तो कही खसरा नम्बर 985, 986, 725/6289, 725 में से मसर्ग चाहा है। ऐसे अभिवचनो से प्रार्थी की बदनियति मालूम पडती है। प्रार्थी ने दुर्भावाना से उक्त आवेदन पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 11, 26 से 32, 34 से 37, 39 से 42 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाबबंद किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामीली अनुपस्थित रहा। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.26 17:30:34 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचमता के हाल खसरा 30 से 36 व 40 प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी है। उक्त खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी ग्राम नयागांव के खसरा नम्बर 3122, 3492/3151, 31[illegible] 3179, 3180 का उपयोग करते है,

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी के है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता लघुतम है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने के कारण रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 3071 से जुडकर स्टेट हाईवे नसीराबाद–मांगलियावास से जुड जायेगा। अन्य रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। मौका रिपोर्ट पर प्रकरण का कोई खण्डन नही है। मौका रिपोर्ट से मार्ग की आत्यतिंक आवश्कता सिद्व होती है। अन्य मार्ग राजस्व अभिलेख में दर्ज नही हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का ठोस खण्डन नही किया है। अपने जवाब में अन्य वैकलिपक मार्ग का उल्लेख नही किया है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रेकार्डेड मार्ग उपलब्ध कराने की है। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी व्हें प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा 30 फिट चौडा मार्ग चाहा है। किन्तु कृषि कार्य के लिये 15 फिट मार्ग दिया जाना उचित होगा।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम नयागांव के खसरा नम्बर 3118 में से 0.1980, 3122 में से 0.0279, 3492/3151 में से 0.0216, 3151 में से 0.0252, 3177 में से 0.0162, 3179 में से 0.0360 व 3180 में से 0.0432 (15 फिट चौडा) हैक्टयर भूमि गै.मु. रास्तें के रूप में सिवायचक खाते में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद खसरा नम्बर 3118 की भूमि के बदले 142746/ रूपये राजकोष में भुगतान के बाद व खसरा नम्बर 3122, 3492/3151, 3151, 3177, 3179 व 3180 की भूमि के बदले क्रमशः 20114/, 15573/, 18168/, 11680/, 25954 व 31145/ रूपये सबंधित खातेदारों को भुगतान होने के बाद राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद कराने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.26 17:39:34 IST
Reason: SelfAttested